Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 24 ▫ रायपुर, रविवार 16 फरवरी 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

दिल्ली भगदड़ में 18 लोगों की मौत रेलवे ने किया 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान

दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की

नई दिल्ली, 16 फरवरी (न्यूज चैनल)। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना में 18 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 12 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। इन सबके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी क्यों मची।

एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब कुछ यात्री फुटओवर ब्रिज से उतरते समय फिसलकर दूसरों पर गिर गए। एक अधिकारी ने बताया कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन अपने प्रस्थान का इंतजार कर रही थी, तब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर कई लोग मौजूद थे। उन्होंने यह भी बताया कि दो अन्य ट्रेनें, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, देरी से चल रही थीं और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। भगदड़ तब हुई जब यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर प्रयागराज (जहां महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है) जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। रेलवे ने रविवार को भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। रेलवे ने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

दिल्ली पुलिस ने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना की रविवार को जांच शुरू कर दी जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाएगा कि अफरातफरी क्यों मची। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, %हमारी टीम मृतकों के परिजनों को सूचित कर रही हैं। हमने जांच पहले ही शुरू कर दी है। पुलिस के एक सूत्र ने कहा, हमारा मुख्य लक्ष्य भगदड़ के मुख्य कारण का पता लगाना है। हम सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान की गई घोषणाओं का सारा डेटा एकत्र करेंगे।

हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की हुई पहचान

1. आहा देवी पत्नी रविन्दी नाथ, निवासी बक्सूर बिहार, उम्र 79 वर्ष
2. पिंकी देवी पत्नी उपेन्द्र शर्मा, निवासी संगम विहार, दिल्ली उम्र 41 वर्ष
3. शीला देवी पत्नी उमेश गिरी, निवासी सरिता विहार, दिल्ली उम्र 50 वर्ष
4. व्योम पुत्र धर्मवीर, निवासी बवाना दिल्ली, उम्र 25 वर्ष
5. पूनम देवी पत्नी मेघनाथ, निवासी सारण बिहार, उम्र 40 वर्ष
6. ललिता देवी पत्नी संतोष, निवासी परना बिहार, उम्र 35 वर्ष
7. सुरुचि पुत्री मनोज शाह, निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, उम्र 11 वर्ष
8. कृष्णा देवी पत्नी विजय शाह, निवासी समस्तीपुर बिहार, उम्र 40 वर्ष
9. विजय साह पुत्र राम सरूप साह, निवासी समस्तीपुर बिहार, उम्र 15 वर्ष
10. नीरज पुत्र इंद्रजीत पासवान, निवासी वैशाली बिहार, उम्र 12 साल
11. शांति देवी पत्नी राज कुमार मांझी, निवासी नवादा बिहार, उम्र 40 वर्ष
12. पूजा कुमार पुत्री राज कुमार मांझी, निवासी नवादा बिहार, उम्र 8 वर्ष
13. संगीता मलिक पत्नी मोहित मलिक, निवासी भिवानी हरियाणा, उम्र 34 वर्ष
14. पूनम पत्नी वीरेंद्र सिंह, निवासी महावीर एन्क्लेव, उम्र 34 वर्ष
15. ममता झा पत्नी विपिन झा, निवासी नांगलोई दिल्ली, उम्र 40 वर्ष
16. रिया सिंह पुत्री ओपिल सिंह, निवासी सागरपुर दिल्ली, उम्र 7 वर्ष
17. बेबी कुमारी पुत्री प्रभु साह, निवासी बिजवासन दिल्ली, उम्र 24 वर्ष
18. मनोज पुत्र पंचदेव कुशवाह, निवासी नांगलोई दिल्ली, उम्र 47 वर्ष

118 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी, चुनावी ट्रेनिंग से गायब थे

रायगढ़, 16 फरवरी (हाईवे चैनल)। रायगढ़ में चल रहे नगरीय निकाय निर्वाचन के बीच चुनावी कार्यों में लापरवाही के चलते 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। दोनों शिक्षकों की ड्यूटी रायगढ़ नगर निगम हेतु मतदान दल में लगाई गई थी। किंतु 10 फरवरी को केआईटी परिसर में मतदान सामग्री वितरण के दौरान दोनों अनुपस्थित रहे। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार काश्मीर कुजूर, शिक्षक, माध्यमिक शाला आश्रम तेंदुमुड़ी, विकासखण्ड-खरसिया और अखिल शर्मा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला बालक, हमालपारा, विकास खण्ड-खरसिया की ड्यूटी रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के मतदान दलों में लगाई गई थी। किंतु 10 फरवरी 2025 को केआईटी रायगढ़ में मतदान सामग्री प्राप्त करने के दौरान उक्त दोनों शिक्षक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। उक्त कृत्य छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरित होकर छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत दंडनीय होने के कारण दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी खरसिया निर्धारित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवि राही ने बताया कि निर्वाचन संपन्न कराने मतदान दलों का गठन कर उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसकी ट्रेनिंग विभिन्न चरणों में की गई थी। जिसमें 118 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग

रायपुर, 16 फरवरी (हाईवे चैनल)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल मतदान होगा, जो बैलट पेपर से तीन चरणों में संपन्न किया जाएगा. मतदान 17, 20 और 23 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जबकि मतगणना 18, 21 और 24 फरवरी को होगी. इस चुनाव में 433 जिला पंचायत सदस्य और 2,973 जनपद पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा. इसके अलावा, 11,672 ग्राम पंचायतों में सरपंचों का चुनाव भी किया जाएगा।

घर लौटे पीएम मोदी, उधर अमृतसर पहुंचा अमेरिका से निर्वासित भारतीयों का दूसरा जत्था

नई दिल्ली, 16 फरवरी (न्यूज चैनल)। अमेरिका से 119 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान शनिवार देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। यह विमान पीएम मोदी के स्वदेश लौटने के ठीक बाद उतरा। आपको बता दें, अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के वादे के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा निर्वासित किए जाने वाले भारतीयों का यह दूसरा जत्था है। इससे पहले पहला विमान 5 फरवरी को उतरा था और 157 निर्वासितों को लेकर तीसरा विमान भी रविवार को भारत में उतरने की उम्मीद है। अमेरिकी वायु सेना का सी-17 ग्लोबमास्टर विमान शनिवार रात करीब 11=40 बजे अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक निर्वासित लोगों में पंजाब से 65, हरियाणा से 33, गुजरात से आठ, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से दो-दो तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकतर निर्वासित लोग 18 से 30 वर्ष की आयु के हैं। उनमें से कुछ के परिवार उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे।

दिल्ली भगदड़ पर गुस्साया विपक्ष, जमकर की मोदी सरकार और रेलवे की आलोचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी (न्यूज चैनल)। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सूत्रों का कहना है कि

प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के प्लैटफ़ॉर्म में बदलाव की गलत घोषणा से भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण भगदड़ मची। अब इस घटना को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत पर सरकार और रेलवे की आलोचना की है। उन्होंने %एक्स% पर लिखा, %नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की ख़बर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है।

एनएच 53 पर ट्रेलर ने जिप्शम से भरे ट्रक को मारी टक्कर, ड्राइवर की जलकर हुई मौत

रायपुर, 16 फरवरी (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर के आरंग क्षेत्र के पारागांव के पास नेशनल हाइवे में भीषण हादसा हो गया. तड़के सुबह करीब 4 बजे ट्रेलर ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. जिसके बाद दोनों वाहनों में देखते ही देखते भीषण आग लग गई. हादसे में ट्रेलर चालक की जलकर मौत हो गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल मृतक चालक की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

जानकारी के मुताबिक, हादसे के दौरान जिप्शम से भरे ट्रक का टायर फटने के कारण ड्राइवर और खलासी वाहन से नीचे उतरे हुए थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही आरंग पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हादसे के बाद नेशनल हाईवे 53 पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक ट्रेलर चालक की पहचान करने के प्रयास जारी है।

सास और ससुर के साथ नहीं रहना चाहती बहू, हाईकोर्ट ने इस हरकत को बताया क्रूरता

बिलासपुर, 16 फरवरी (हाईवे चैनल)। शादी के सात महीने बाद पत्नी ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी। पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। हालांकि कोर्ट ने सभी को इस मामले में बरी कर दिया था। इधर, पति ने इन सबके बावजूद दोबारा साथ रहने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, लेकिन यहां पत्नी ने शर्त रखी कि वह अपने माता-पिता को छोड़कर उसके साथ रहेगा तो वह आने के लिए तैयार है, इसके बाद पति ने आवेदन वापस ले लिया। इसके बाद फैमिली कोर्ट में तलाक की मांग करते हुए याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। इस पर हाई कोर्ट में अपील की। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने तलाक मंजूर किया है। दो माह के भीतर पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में एकमुश्त 5 लाख रुपए देने के आदेश दिए गए हैं।

बालोद में रहने वाले शख्स की बालोद में ही रहने वाली महिला के साथ 27 अप्रैल 2007 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के 7 महीने बाद पत्नी बगैर किसी कारण के मायके में जाकर रहने लगी। पति और उसके परिजनों के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 498ए के तहत केस दर्ज कराया। हालांकि सभी को कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया था। इधर, पत्नी ने फैमिली कोर्ट में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दिया था। उसने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद पति और उसके परिवार ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। गर्भावस्था के दौरान भी उसे प्रताड़ित किया गया। 11 जून 2008 को बेटी के जन्म के बाद पति ने उसकी देखभाल नहीं की। उसने कोर्ट में कहा कि वह पति के साथ रहना चाहती है। वहीं, पति ने पत्नी के आरोपों को खारिज किया। उसने कहा कि पत्नी खुद उसे छोड़कर मायके चली गई। उसने पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। पत्नी की अपील भी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। उसने घरेलू हिंसा का मामला भी लगाया, जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।

पति ने पत्नी के साथ रहने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था, लेकिन पत्नी ने यहां शर्त रखी कि वह अपने माता-पिता को छोड़ दे, तभी साथ रहेगी। इसके बाद पति ने आवेदन वापस ले लिया और तलाक की अर्जी दी। लेकिन फैमिली कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पत्नी ने भरण-पोषण के लिए भी आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। इसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील की थी। पति ने हाई कोर्ट में की गई अपील में बताया कि पत्नी 2008 से अलग रह रही है। उसने पुलिस में कई शिकायतें कीं। पति पर माता-पिता को छोड़ने का दबाव बनाया। उसे घर जमाई बनने के लिए मजबूर किया। उसके चरित्र पर भी शक किया। हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी ने कभी वैवाहिक जीवन बचाने की कोशिश नहीं की। उसने बिना कारण पति का घर छोड़ दिया था। केस दर्ज कराया। यह क्रूरता है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल 2007 को हुए विवाह को शून्य घोषित किया है। साथ ही, पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को दो महीने के भीतर 5 लाख रुपये गुजारा भत्ता दे।

प्रयागराज में रविवार को लगा भीषण जाम, जिले की सीमाओं पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतार

नई दिल्ली, 16 फरवरी (न्यूज चैनल)। महाकुंभ में आने वाली भीड़ के चलते प्रयागराज जनपद में प्रवेश करने वाले सभी सीमाओं पर रविवार को भीषण जाम लग गया। दूसरे जनपद से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोक देने के कारण नवाबगंज, हथिगहां, नैनी, अंदावा सहित कई स्थानों पर भीषण जाम लग गया है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ी धूप में कई घंटे तक वाहन रेंगने के कारण उसमें सवार लोगों की हालत खस्त हो गई है।

रविवार को शहर में कमोबेश जाम की स्थिति कम रही, लेकिन शहर में घुसने वाले मार्गों पर जाम की स्थिति भयावह है। कहने के लिए मेले को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, लेकिन रविवार को स्थिति यह रही कि जवाहर जीटी चौराहे से मेले की ओर से धड़ल्ले से वाहन प्रवेश कर रहे थे ओर यहां पर कोई रोक टोक नहीं था। त्रिवेणी मार्ग, काली रोड और नवल राय रोड पर धड़ल्ले से दो पहिया वाहन चल रहे हैं। लोगों को 20 से 30 किलोमीट पैदल यात्रा कर संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।